


61



न्यायालय राजस्व मॉडल म०प्र० ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र०क्र०

/06

R 960/II/06

माधू पिता देवलाल

निवासी ग्राम टकौरा तहसील व्यावरा

जिला राजगढ़ म०प्र०

— आवेदक

वि०

1- मदनलाल पिता गोपीलाल

2- देवीलाल पिता गंगाराम दोनों निवासी ग्राम

टकौरा तह० व्यावरा जिला राजगढ़ म०प्र०

— अनावेदकगण

Handwritten notes and signatures on the left side, including a date 29.5.06 and a signature.

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग भोपाल द्वारा प्र०क्र० 259/93-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.7.95 के विरुद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है -

मामले के संक्षिप्त तथ्य :-


- 1- यह कि, आवेदक ने तहसील न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदककी भूमि ग्राम टकौरा में स्थित भूमि सर्वे नं. 3 जो कि अनावेदकके नामपर है । से सिंचाई हेतु पानी लेता रहा है । यह पानी सर्वे नं. 2 व 3 की मेट से होता हुआ सर्वे नं. 18 की मेट से आवेदक की भूमि सर्वे नं. 17 में आता था । पानी के आने की रस्ते की भूमि को अनावेदक द्वारा तोड़ देने से जल स्रोत से वींचत कर दिया इसी प्रकार अनावेदकों ने सर्वे नं. 236 की भूमि पर ताल

Handwritten signature and date 29.5.06, K. K. Dwivedi, Advocate.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 960-दो/2006

जिला राजगढ़.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-11-2015	<p>उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में पेशी दिनांक 5-8-07 को अनावेदक क्रमांक 2 देवीलाल के फौत होने की टीप सहित नोटिस वापस प्राप्त होने से लेख है आवेदक अभिभाषक को अनावेदक क्रमांक 2 का वारिसान आवेदन मय तलवाने के पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात कुल 53 पेशीयां एवं 8 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी आवेदक अभिभाषक द्वारा मृत अनावेदक के वारिसान आवेदन मय तलवाने के जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण अवैट किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p></p> <p>(डॉ० मधु खरे) सदस्य</p>	